रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] **नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/फाल्गुन 8, 1940**
No. 143] **NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/PHALGUNA 8, 1940**

भारतीय रिज़र्व बैंक

(**विदेशी मुद्रा विभाग**)

(**केंद्रीय कार्यालय**)

अधिसूचना

मुम्बई, 27 फरवरी, 2019

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2019

सा.का.नि. 160(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 तथा धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 [21 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. 10(आर) /2015–आरबी] में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 4 में संशोधन :—

विनियम 4 के मौजूदा उप-विनियम (जी) (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) भारत के प्राधिकृत व्यापारी, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, भारत में जहाज कर्मीदल प्रदाता (शिप मैनिंग) एजेंसियों / क्रू-प्रबंधन एजेंसियों तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत पुनर्बीमा/ मिश्रित बीमा ब्रोकरों को उनके सामान्य कारोबारी प्रचालनों संबंधी लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाते खोलने एवं उन्हें बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं।"

[सं. फेमा. 10(आर)(2)/2019-आरबी]

आर. के. मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

टिप्पण : मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र–असाधारण–भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 96(अ) के तहत दिनांक 21.01.2016 को प्रकाशित की गई थी।

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th February, 2019

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2019

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016], namely:—

1. Short Title and Commencement:—

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Amendment) Regulations, 2019.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 4:

In Regulation 4, the existing sub-regulation (G)(2), shall be substituted as follows:—

"(2) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow ship-manning / crew managing agencies in India and re-insurance and composite insurance brokers registered with IRDA to open and maintain non-interest bearing foreign currency accounts in India for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of their business."

[No. FEMA 10(R)(2)/2019-RB]

R. K. MOOLCHANDANI, Chief General Manager

Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India– Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R. No. 96(E)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.27 22:43:23 +05'30'